FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

महेश बनाम ग्राम पंचायत रायपुर पाटन

किस्म मुकदमा अपील विरूद्ध नामान्तरकरण मु0नं0 31 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1314

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24-09-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल उपस्थित। प्रार्थना पत्र अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 648 ग्राम पंचायत रायपुर पाटन दर्ज रजिस्टर किया जावे। रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 07.10.2025 को पेश हो।	
7/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। P.O. साहब दौरा कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/10/25 को पेश हो।	
20/10/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। प्रशासक ग्राम पंचायत रायपुर पाटन से महेश व सूरजा पुत्र सुगना दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं, का प्रमाण पत्र पूर्व में पेश हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। प्रकरण में बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.05.1986 बाबत नामान्तरकरण संख्या 648 तन ग्राम रायपुर पाटन तहसील पाटन स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील अपीलान्ट पर सगौर मनन किया गया। चूंकि विवादित आराजी की खातेदारी अपीलान्ट के दादा कालू पुत्र फत्ता के नाम रही हैं। अपीलान्ट के दादा कालू पुत्र फत्ता का देहान्त होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया जिसको ग्राम पं0 रायपुर पाटन द्वारा दिनांक 25.05.1986 को तस्दीक किया गया जिसमें अपीलान्ट का नाम सुरजा पुत्र सुगना दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट के अन्य सभी दस्तावेजों में यथा शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में	

महेश पुत्र सुगनाराम दर्ज हैं। लेकिन ग्राम पंचायत रायपुर पाटन ने अपीलान्ट के नाम की जांच किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम सुरजा पुत्र सुगना दर्ज कर दिया गया। उस समय अपीलान्ट की आयु महज 15 वर्ष थी जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही थी। ग्राम पंचायत द्वारा बिलकुल गलत रूप से नामान्तरकरण भरा जाकर तस्दीक किया गया हैं। जिस कारण विधि विरूद्व विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं।

अतः नामान्तरकरण संख्या 648 ग्राम पंचायत रायपुर पाटन दिनांक 28.05.1986 को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेश दिया जाता हैं कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 648 ग्राम पंचायत रायपुर पाटन दिनांक 28.05.1986 को अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर विवादित पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णय विधिसम्मत पारित करें। तहसीलदार पाटन को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)